कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमाँक 841 /दो–5–1/2026(92–ए) (भ0समिति) **कांकेर, दिनाँक 22.07.2026**

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.08.2026 संध्या 05:00 बजे तक

जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर स्थापना अंतर्गत तृतीय श्रेणी संवर्ग के सहायक ग्रेड–3 कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर में दिनाँक **11.08.2026** के संध्या **05.00** बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण:–

क्र.	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति (0 पद)				अनुसूचित जनजाति (01 पद)				अन्य पिछड़ा वर्ग (02 पद)				सामान्य (04 पद)			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
1.	सहायक ग्रेड–3 (संवर्ग)	07	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1
	योग–	07	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1

टीप :–

क. भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमाँक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

ख. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर, कांकेर के पास सुरक्षित रहेगा।

ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।

घ. सा0प्र0वि0क0एफ 3–1/2016/1–3/दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू है।

ड. (01) पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

(02) जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला एवं भूतपूर्व सैनिको के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाते हैं, तो उसी श्रेणी के मुक्त पदों से वरियता के आधार पर चयन किया जायेगा।

1. सहायक ग्रेड–3 पद के लिये भर्ती की पात्रता एवं शर्तें:–

अ– वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000)

ब– शैक्षणिक योग्यता –

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिपलोमा कोर्स उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।

22-7-2026

4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

स: **अन्य शर्तेः—**

(1) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) उम्मीद्वार दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयू पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष से 05 वर्ष की छूट की अवधि बढ़ाया गया है, जो 31.12.2028 तक के लिए प्रदान की गई है। परन्तु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर राज्यों के उम्मीद्वार/आवेदकों के लिए अधिकतम अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी।

(4) रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए (अनिवार्य शर्त नहीं है)। (कार्यरत शासकीय सेवको के लिए लागू नही है)।

(4) 1. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

2. कोई भी उम्मीदवार, जिसके एक से अधिक पत्नी/पति जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

(5) जिस श्रेणी के उम्मीदवारो में महिला के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नही पाये जाते तो उस श्रेणी के मुक्त पदो से वरियता के आधार पर चयन किया जायेगा।

(6) चयनित उम्मदवारो को उत्तर बस्तर कांकेर के बाह्य न्यायालयों में भी नियुक्ति की जा सकेगी।

(7) छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्रमाँक एफ 3–2/2005/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनाँक 30.01.2019 के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(8) चयनित उम्मीदवारो के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवारों को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(9) उम्मीदवार को आवेदन मे संलग्न दस्तावेजो की मूल प्रति नियुक्ति के पश्चात् प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(10) जो अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(11)आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

महत्वपूर्ण सूचना— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन–पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ

22-7-2026

कदापि नहीं होगा, कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जायेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छ0ग0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है ।

2. उच्चतर आयु सीमा में छूट की अन्य शर्ते:–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

2(एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2(एक) (2)– यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अन्य पिछडा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आय सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को कीमीलेयर के अंतर्गत नही होना चाहिए।

2(एक) (3)– छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

2(एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– *छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।*

2(एक) (5)– ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

2(एक) (6)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

2(एक) (7)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

2(एक) (8)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

22-7-2026

2(एक) (9)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

2(एक) (10)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

2(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :– आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

2(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप– (1)– बिन्दु क्रमांक–2 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2)– बिन्दु क्रमांक–2 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 03 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरणः– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतत आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 2 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :– अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ०ग० शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

04. सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता :–

(1) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो।

परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्यधीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर

22-7-2016

पर नियुक्त किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(4) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थी हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भी हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।

(5) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि :-

(क) वह किसी विधि-विरूद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है;

अथवा

(ख) ऐसी किसी गतिविधि अथिवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है;

1. जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो;
2. जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा विधि का विरोध करना हो;
3. जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हो; अथवा
4. नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका हो;

अथवा

(घ) जिसे संघ लोक आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरर्हित किया गया हो;

अथवा

(ड़) जो नैतिक अद्यमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्धि ठहराया जा चुका हो।

5. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः-

(1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम **मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो,** को कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0), पिन- 494334 में **दिनाँक 11.08.2026 की संध्या 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या केवल व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर संस्थित बॉक्स में जमा करेंगे जिसे स्वीकार किया जायेगा, अन्य कोरियर, ई-मेल आदि के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।** दिनांक **11.08.2026** की संध्या 05.00 बजे के उपरान्त डाकघर से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

22-7-2026

(2) आवेदन पत्र के साथ **जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र** (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), **दिव्यांगता प्रमाण पत्र** इत्यादि प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) बिना हस्ताक्षर के प्रेषित आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

(4) विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेंगा।

(5) त्रुटीपूर्ण, अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा, जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं होगी।

(6) आवेदन पत्रों की छटनी उपरांत पात्र/अपात्र उम्मीदवारो की सूची पृथक–पृथक जिला न्याायालय के वेबसाईट– **https://kanker.dcourts.gov.in** एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जायेगी।

6. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रियाः–

1. प्रथम चरण : लिखित परीक्षाः–

आवेदकों की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता के विवेकाधीन एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक–एक अंक होगा। **प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही उत्तर पर सही (√) का चिन्ह नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकित करना होगा।**

नोटः– अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक विकल्प पर ही सही (√) चिन्ह अंकित करना होगा। सही (√) चिन्ह को (X) लगाकर पुनः दूसरे विकल्प पर सही (√) का निशान लगाने से उत्तर सही होने पर भी गलत उत्तर माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा सही (√) चिन्ह के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का निशान अंकित करने पर भी उत्तर सही होने पर गलत माना जायेगा।

उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 01 घंटे की होगी। उक्त लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर एक पद पर 15 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा।

2. द्वितीय चरण : कौशल परीक्षाः–

सहायक ग्रेड–3 :–कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर **उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस** में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिये होगा।

टीप :– कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7. नियुक्ति हेतु चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूचीः–

1. मेरिट सूची :– कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में,

22-7-2020

जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसें प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की स्नातक में भी समान अंक होने पर स्नातकोत्तर में प्राप्त अंक, स्नातकोत्तर नहीं होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

2. प्रतीक्षा सूची :– प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होनी की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। **(यदि चयनित अभयर्थी, चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है या मृत्यु या अन्य कारण से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यायल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।)**

8. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारीः–

प्रत्येक आवेदक को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

9. अन्य आवश्यक सूचनाएँः–

01. नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0) को होगा।
02. चयनित अभ्यर्थी को **03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 01 वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवार जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेंगा।
03. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
04. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट **https://kanker.dcourts.gov.in** से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर एवं स्वहस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अभ्यर्थी, स्वयं के पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र अथवा पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जावेगा।
05. कौशल परीक्षा/वहुविकल्पीय परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेशपत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेंगी।
06. प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, कौशल परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा

कार्यालय के वेबसाईड **https://kanker.dcourts.gov.in** में भी अपलोड किया जावेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 05 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

07. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नही किया जायेगा।

08. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित हो प्रस्तुत करना होगा।

09. प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/ निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

स्थान :– कांकेर
दिनाँक :– 22.07.2026

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या0जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर

आवेदन–पत्र का प्रारूप

(सहायक ग्रेड–03 (संवर्ग) के कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु)

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा कर स्व प्रमाणित करें।

प्रति,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :..............................
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :..............................
   (अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में) :..............................
3. लिंग (संकेतांक) पुरूष–1, महिला–2, अन्य–3 ☐
4. पिता / पति का नाम :..............................

5.(अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :..............................
:..............................
:..............................

(ब) स्थायी पता :..............................
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक :..............................
ही है तो तदैव लिखें) :..............................

6.(अ) जन्म तिथि (अंकों में) ☐

शब्दों में :..............................

(ब) दिनाँक 01.01.2026 को आयु वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐

7. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? ☐
हाँ / नहीं (समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8. अ. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ / नहीं ☐
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
ब. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ☐

9. अ. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हाँ / नहीं ☐
(यदि हाँ, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
ब. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :..............................

10. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हाँ / नहीं ☐
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

22-1-2026

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (यदि हो तो) क्रमाँक:...

व दिनाँक :..

12. रोजगार कार्यालय का नाम :..

13. क्या आप विवाहित हैं? हाँ / नहीं

14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि

15. जीवित बच्चों की संख्या

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक

17. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हाँ / नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

18. स्व–प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

A .... B ....
C .... D ....
E .... F ....
G .... H ....
I .... J ....

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान : ....

दिनाँक : ....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

नाम :..

पता :..